(27)

क्रम-संख्या--14

रजि० नं० एल०डब्लू०/एल०पी० 896

लाइसेन्स नं० डब्लू० पी०-41

लाइसेन्स टू पोस्ट एण्ड कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग--1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 12 जनवरी, 2000

पौष 22, 1921 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग--1

संख्या 145/सत्रह-वि-1--1 (क)-36-1999

लखनऊ, 12 जनवरी, 2000

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) विधेयक, 2000 पर दिनांक 11 जनवरी, 2000 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2000 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2000

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 6 सन् 2000]

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पचासवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अधिनियम, 2000 कहा जायगा।

(2) यह 21 अक्टूबर, 1999 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

उत्तर प्रदेश ऐक्ट संख्या 15 सन् 1948 की धारा 4-क का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश व्यापार कर ऐक्ट, 1948 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4-क में,—

(क) उपधारा (1) में प्रतिबन्धात्मक खण्ड के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक खण्ड रख दिया जायगा, अर्थात् :—

"प्रतिबन्ध यह है कि पांच करोड़ रुपए या अधिक का स्थिर पूंजी विनिधान करने वाली किसी नई इकाई में या किसी विद्यमान इकाई, जो पांच वर्ष से अनधिक ऐसी अवधि के भीतर जैसी विनष्टि में विनिर्दिष्ट की जाय, विस्तार, विविधीकरण, आधुनिकीकरण और बैकवर्ड इन्टीग्रेशन या उनमें से किसी एक में पांच करोड़ रुपये या अधिक का स्थिर पूंजी विनिधान करे, में निर्मित माल के सम्बन्ध में कर से छूट या उसकी दर में कमी प्रदान की जा सकती है";

(ख) स्पष्टीकरण (4) में,—

"(एक) शब्द "ऐसे संयंत्र" के स्थान पर शब्द "ऐसे संयंत्र जिनके अन्तर्गत कैप्टिव पावर प्लान्ट भी है" रख दिये जायेंगे ;

(दो) प्रतिबन्धात्मक खण्ड में,—

(क) खण्ड (ख) में, शब्द "संयंत्र" के स्थान पर "संयंत्र जिनके अन्तर्गत कैप्टिव पावर प्लान्ट भी है" रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायगा, अर्थात् :—

"(ङ) किसी कैप्टिव पावर प्लान्ट में स्थिर पूंजी विनिधान के आधार पर कर से छूट या कर की दर में कमी की सुविधा तभी उपलब्ध होगी जब इकाई ऐसी विद्युत जो उसके उपभोग से अधिक हो, की बिक्री उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् से भिन्न किसी व्यक्ति को न करती हो और यदि इकाई ऐसी अधिक विद्युत की बिक्री उक्त परिषद् से भिन्न किसी व्यक्ति को करती है, तो इकाई अपने निर्मित माल की बिक्री पर धारा 8 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार ब्याज के साथ यथानुपात आधार पर कर का भुगतान करने के लिए दायी होगी।"

(ग) स्पष्टीकरण (7) के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जायगा, अर्थात्—

"(8) "कैप्टिव पावर प्लान्ट" का तात्पर्य ऐसे पावर प्लान्ट से है जो राज्य में किसी ऐसी इकाई द्वारा लगाया गया हो जो किसी वित्तीय वर्ष में ऐसे पावर प्लान्ट द्वारा उत्पादित विद्युत का उसकी स्थापित क्षमता के पचहत्तर प्रतिशत से अन्यून उपभोग करती है :

प्रतिबन्ध यह है कि राज्य सरकार किसी वित्तीय वर्ष में किसी इकाई के सम्बन्ध में इस स्पष्टीकरण के विद्युत के उपभोग की अपेक्षाओं को निम्नलिखित सदस्यों की समिति की संस्तुति पर शिथिल कर सकती है :—

(क) यथास्थिति, प्रमुख सचिव या सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, ऊर्जा विभाग।

(ख) प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग।

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, सार्वजनिक उद्यम विभाग।

(घ) प्रबन्ध निदेशक, प्रदेशीय इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कार्पोरेशन, उत्तर प्रदेश।

(ङ) अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद्।"

(40)

उ० प्र० अध्यादेश संख्या 18 सन् 1999

3—(1) उत्तर प्रदेश व्यापार कर (संशोधन) अध्यादेश, 1999 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और व्यपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
योगेन्द्र राम त्रिपाठी,
प्रमुख सचिव।

No. 145 (2)/XVII-V-1—1 (KA)-36-1999

Dated Lucknow, January 12, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Vyapar Kar (Sanshodhan) Adhiniyam, 2000 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 6 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on January 11, 2000.

THE UTTAR PRADESH TRADE TAX (AMENDMENT) ACT, 2000

[U. P. Act No. 6 of 2000]

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948.

It is hereby enacted in the Fiftieth Year of the Republic of India as follows:—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Act, 2000. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on October 21, 1999.

2. In section 4-A of the Uttar Pradesh Trade Tax Act, 1948, hereinafter referred to as the principal Act,— Amendment of section 4-A of U. P. Act no. 15 of 1948

(*a*) in sub-section (1) *for* the proviso the following proviso shall be *substituted*, namely:—

"Provided that in respect of goods manufactured in a new unit having a fixed capital investment of five crore rupees or more or in an existing unit which may make fixed capital investment of five crore rupees or more in expansion, diversification, modernisation and backward integration or in any one of them, within such period not exceeding five years as may be specified in the notification, the exemption from or reduction in the rate of tax may be granted ;"

(*b*) in Explanation (4),—

(i) *for* the words "such plant" the words "such plants including captive power plant" shall be *substituted*;

(ii) in the proviso,—

(*a*) in clause (*b*) *for* the word "plant" the words "plants including captive power plant" shall be *substituted*;

(41)

(*b*) *after* clause (*d*) the following clause shall be *inserted*, namely ;—

"(*e*) the facility of exemption from or reduction in the rate of tax on the basis of fixed capital investment in a captive power plant will be available when the unit does not sell the power which is in excess of its consumption to any person other than the Uttar Pradesh State Electricity Board and in case the unit sells such excess power to person other than the said board, the unit will be liable to pay the tax on the sale of its manufactured goods on pro-rata basis alongwith the interest in accordance with the provisions of sub-section (1) of section 8."

(*c*) *after* explanation (7), the following explanation shall be *inserted*, namely :—

"(8) "captive power plant" means a power plant established in the State by a unit which consumes not less than seventy five percent of the installed capacity of power generated by such plant in a financial year :

Provided that the State Government may relax in any financial year, the requirement of consumption of power of this explanation with respect to any unit, on the recommendation of the committee comprising :—

(*a*) Principal Secretary or Secretary, as the case may be, to the State Government in the Oorja Department.

(*b*) Principal Secretary to the State Government in the Finance Department.

(*c*) Secretary to the State Government in the Public Enterprises Department.

(*d*) Managing Director, Pradeshiya Industrial Investment Corporation of Uttar Pradesh.

(*e*) Chairman, Uttar Pradesh State Electricity Board."

Repeal and savings

3. (1) The Uttar Pradesh Trade Tax (Amendment) Ordinance, 1999 is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 247 सा० विधा०—(1834)—2000—850(मेक०)।

(५२)